अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

08 01.06.2023	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 30 /2023 राज्य बनाम मोतीउर रहमान, पिता रमजान अंसारी, निवासी मुण्डाघौड़ा खलारी बाजारटांड, थाना–मैक्लुस्कीगंज, जिला–रॉची (झारखण्ड) ....विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 235/डी०सी०बी० दिनांक 05.03.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी मोतीउर रहमान, पिता रमजान अंसारी, निवासी मुण्डाघौड़ा खलारी बाजारटांड, थाना–मैक्लुस्कीगंज, जिला–रॉची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:– 1. मैक्लुस्कीगंज थाना कांड सं0–39/16 दि० 16.10.2016 धारा 147/148/149/286/427/440 भा०द०वि० एवं 3 Prevention of Damage of Public Property Act एवं 3/4/5 Explosive Act एवं 17 CLA Act 2. मैक्लुस्कीगंज थाना सनहा दैनिकी सं० 04/23 दि० 19.02.2023 वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि वरीय पुलिस उपाधीक्षक खलारी के कार्यालय का ज्ञापांक–230/2023. दिनांक 19.02.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि कुख्यात एवं सकिय अपराधकर्मी मोतीउर रहमान, पिता रमजान अंसारी, निवासी मुण्डाघौड़ा खलारी बाजारटांड, थाना–मैक्लुस्कीगंज, जिला–रॉची जो वर्तमान में जेल से बाहर है। इनका मुख्य पेशा हथियार का भय दिखाकर लुटपाट एवं चोरी करना इत्यादि है। इनके भय के कारण आम जन इनके विरूद्ध पुलिस एवं न्यायालय तक नही जाना चाहते है। इनके विरुद्ध गवाह प्रस्ततु नहीं होने के फलस्वरूप ये ज़ेल से आसानी से छूट	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

जाते है। इनके विरूद्ध कई अपराधिक कांड भी दर्ज है इससे इनके असमाजिक तत्व होना प्रमाणित होता है। ऐसे व्यक्ति से लोक व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी हुई है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा – धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी को निर्गत नाटिस का तामिला प्राप्त है। विपक्षी नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त भी ना तो इस न्यायालय मे कभी उपस्थित ही हुए, ना ही उन्होने कारण पृच्छा समर्पित किया है।

प्रस्तुत मामले मे विद्वान जिला लोक अभियोजक, रॉची ने पत्रांक 139/23 दिनांक 01.05.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमे उन्होने विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा – धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) कार्रवाई करने की अनुशंसा किया है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। इनका मुख्य पेशा हथियार का भय दिखाकर लुटपाट एवं चोरी करना इत्यादि है।, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी मोतीउर रहमान, पिता रमजान अंसारी, निवासी मुण्डाघौड़ा खलारी बाजारटांड, थाना–मैक्लुस्कीगंज, जिला–रॉची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी मोतीउर रहमान, पिता रमजान अंसारी, निवासी मुण्डाघौड़ा खलारी बाजारटांड, थाना–मैक्लुस्कीगंज, जिला–रॉची को दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक की अवधि के लिए मैक्लुस्कीगंज थाना, रॉंची मे प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 09.06.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक प्रतिदिन

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

मैक्लुस्कीगंज थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी मोतीउर रहमान, पिता रमजान अंसारी, निवासी मुण्डाघौड़ा खलारी बाजारटांड, थाना–मैक्लुस्कीगंज, जिला–रॉची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति मोतीउर रहमान, पिता रमजान अंसारी, निवासी मुण्डाघौड़ा खलारी बाजारटांड, थाना–मैक्लुस्कीगंज, जिला–रॉची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

Rahul

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी

रॉची

Rahul

जिला दण्डाधिकारी

रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.05 14:07:41 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1855:24c8:988a:358d